For immediate release

तत्काल जारी करने हेतु

राजकोट डेयरी यूनिट पर निरीक्षण के बाद एफएसएसएआई ने ज़ब्त किया मिलावटी घी का स्टॉक, आगे की कार्रवाई शुरू

एफएसएसएआई की विशेष घी निगरानी ड्राइव के तहत गुजरात में सब-स्टैंडर्ड घी ज़ब्त

राजकोट; 21 अगस्त, 2025: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गुजरात के राजकोट स्थित *कोरोवा मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड* से लगभग 6,500 किलोग्राम मिलावटी घी ज़ब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपये है। यह कार्रवाई घी में बाहरी वसा की मिलावट रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष निगरानी अभियान का हिस्सा है।

प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान एफएसएसएआई ने घी के नमूने लेकर अधिसूचित प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे है। लैब रिपोर्ट में नमूनों को "सब-स्टैंडर्ड" पाया गया तथा उनमें वनस्पति वसा की मिलावट की पुष्टि हुई, जो *खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011* का उल्लंघन है। परिणामों की सूचना खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) को दी गई और एक माह की अवधि अपील हेतु प्रदान की गई, लेकिन कोई अपील दर्ज नहीं की गई।

इसके बाद 20 अगस्त, 2025 को पुनः निरीक्षण किया गया। मिलावट के पुख्ता प्रमाण मिलने पर उपलब्ध सभी कच्चे माल और तैयार उत्पादों का स्टॉक ज़ब्त कर लिया गया। साथ ही नए नमूने भी परीक्षण हेतु एकत्र किए गए हैं। अंतिम लैब परिणाम और जाँच रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण आगे की कानूनी एवं नियामकीय कार्रवाई करेगा।

एफएसएसएआई का स्पष्ट रुख है कि खाद्य मिलावट के प्रति शून्य सहिष्णुता बरती जाएगी और सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्राधिकरण पुनः दोहराता है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य का अधिकार है, और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।